

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

क्र.नं० - 218/2026

भनवान :-

1. जगमनदीप सिंह पुत्र करतारसिंह जाति कुम्हारसिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. करतारसिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति कुम्हार सिख निवासीयान मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. चरणसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासीयान मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. रमनदीप कौर पुत्री करतारसिंह जाति कुम्हार सिख निवासीयान मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. छमनदीप कौर पुत्री करतारसिंह जाति कुम्हार सिख निवासीयान मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. गुरदेवकौर पत्नी सरजीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. गुरमीतकौर पुत्री सरजीतसिंह पत्नी चुन्नीराम जाति कुम्हार सिख निवासी बीड़ाबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. लाभसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति कुम्हारसिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. परमजीत कौर पत्नी लाभसिंह जाति कुम्हारसिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी सुभाष गर्ग व करनैल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादी व प्रतिवादीगण को चक 5 एनडीआर खाता सं० 43/37 व चक 5 एनडीआर के ही खाता सं० 64/64 तथा चक 4 एनडीआर खाता सं० 107/90 एवं इसी चक 4 एनडीआर के खाता सं० 106/46 में निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है-


क. वादी जगमनदीप सिंह को प्राप्त आराजी :- चक नं० 5 एनडीआर के खाता सं० 43/37 में कुल 6.070 है में से प्रतिवादी सं० 1 करतारसिंह के 1/9 हिस्सा का, इसी चक के खाता सं० 64/64 में कुल 1.240 है० में प्रतिवादी सं० 1 करतारसिंह के 1/3 हिस्सा का, चक नं० 4 एनडीआर के खाता सं० 107/90 में कुल 0.989 है० में प्रतिवादी सं० 1 करतारसिंह के 1/5 हिस्सा, चकनं० 4 एनडीआर के खाता सं० 106/46 में कुल 6.198 है० में से प्रतिवादी सं० 1 करतारसिंह के 1252/15495 हिस्सा की आराजी व चकनं० 4 एनडीआर के खाता सं० 106/46 में कुल 6.198 है० में से प्रतिवादी सं० 2 चरणसिंह के 1252/15495 हिस्सा में से 0.253 है०।

ख. प्रतिवादीया सं० 8 परमजीत कौर को प्राप्त आराजी :- चक नं० 4 एनडीआर के खाता सं० 107/90 में कुल 0.989 है० में प्रतिवादी सं० 7 लाभसिंह के 1/5 हिस्सा का, चकनं० 4 एनडीआर के खाता सं० 106/46 में कुल 6.198 है० में से प्रतिवादी सं० 7 लाभसिंह के 1252/15495 हिस्सा की आराजी।

ग.वादी जगमनदीप सिंह, प्रतिवादी सं० ८ परमजीत कौर, प्रतिवादी सं० २
चरणसिंह को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी :- चक नं० ४ एनडीआर के खाता सं०
१०७/९० में कुल ०.९८९ है० में प्रतिवादी सं० ५ व ६ प्रत्येक का १/५ हिस्सा, चकनं० ४
एनडीआर के खाता सं० १०६/४६ में कुल ६.१९८ है० में से प्रतिवादी सं० ५ व ६ प्रत्येक
का १२५२/१५४९५ हिस्सा की आराजी। इसी अनुसार उपरोक्त वादी व प्रतिवादीगण को
खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक नं० ५ एनडीआर के खाता सं०
४३/३७, इसी चक के खाता सं० ६४/६४, मे से करतारसिंह का नाम कलमजन, चक नं०
४ एनडीआर के खाता सं० १०७/९०, चकनं० ४ एनडीआर के खाता सं० १०६/४६ में से
करतारसिंह, गुरमीतकौर, गुरदेवकौर तथा लाभसिंह का नाम कलमजन व चक ४
एनडीआर के खाता सं० १०६/४६ में चरणसिंह का हिस्सा कम किया जाकर यदि कृषि
भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड
में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 29/1/26 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी
की गई।




उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
(सिद्धिचारायण)

R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़